भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1597
7 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

पी.एम.एम.एस.वाई.के अंतर्गत अवसंरचना विकास और फसल कटाई के बाद का प्रबंधन

1597. श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री सीएन अन्नादुरई:
डॉ अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री जी.सेल्वम:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:
डॉ सुभाष रामराव भामरे:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री गौतम सिगामणी पोन:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में मत्स्यपालन क्षेत्र का क्या योगदान है;
(ख) मत्स्यपालन क्षेत्र के समग्र उत्पादन और निर्यात में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) की उपलब्धियां क्या हैं;
(ग) इस योजना के आरंभ से इसके रोजगार सृजन क्षमता सहित अन्य प्रमुख प्रभाव क्या हैं;
(घ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केन्द्र द्वारा प्रायोजित घटकों के अंतर्गत किए जा रहे क्रियाकलापों की उपयोगिता प्रतिशत तथा राज्य-वार आबंटन का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तमिलनाडु और महाराष्ट्र का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने जलकृषि क्षेत्र में उत्पादन को वर्तमान राष्ट्रीय औसत 3 टन प्रति हेक्टेयर से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) पी.एम.एम.एस.वाई. के अंतर्गत मत्स्यपालन और जल कृषि क्षेत्र हेतु अवसंरचना विकास और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन हेतु उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(छ) पी.एम.एम.एस.वाई. के अन्तर्गत मत्स्यपालन और जल कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क): मात्स्यिकी क्षेत्र लगभग 28 मिलियन मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक विकास, भोजन उपलब्ध कराने, रोजगार के अवसरों के सृजन, आजीविका सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2019-20 के दौरान राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में मात्स्यिकी क्षेत्र का योगदान 1,26,370 करोड़ रुपये (स्थिर मूल कीमतों पर; 2011-12) था, जो राष्ट्रीय जीवीए में 0.95% और कृषि जीवीए का 6.42% था। इसके अलावा, यह क्षेत्र पिछले एक दशक में 8.8 प्रतिशत (स्थिर मूल्य) की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।

(ख) से (घ) : मात्स्यिकी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम निवेश के साथ एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कर रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाका उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, महत्वपूर्ण मत्स्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, पोस्ट हार्वेस्ट के नुकसान को कम करना, मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, निर्यात को दुगना करना, संबंधित स्वास्थ्य लाभ के साथ घरेलू मछली की खपत को बढ़ाना, मत्स्य क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है।

2020-21 से 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाके तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने अब तक,5336.96 करोड़ रुपये जिसमें 148.23 करोड़ रुपये और 398.87 करोड़ रुपये की तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार की परियोजनाएं भी शामिल हैं।प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 1223.96 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधियां जारी की गई हैं। 2018-19 के दौरान 135.73 लाख टन से 2019-20 के दौरान मछली उत्पादन बढ़कर 141.64 लाख टन हो गया है एवं 2020-21 के दौरान 43720.98 करोड़ रुपये की आय के साथ 11,49,510 टन मत्स्य तथा मात्स्यिकी उत्पादों का भारत से निर्यात किया गया है। अनुमोदित परियोजना लागत और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जारी केंद्रीय निधियों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है। जैसा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाके तहत जिलावार आवंटित निधि अनुलग्नक-॥ में दी गई है।

(ङ) से (छ): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास, समुद्री मत्स्यपालन के विकास और समुद्री शैवाल की खेती, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्यपालन के विकास, सजावटी और मनोरंजन मात्स्यिकी का विकास,प्रौद्योगिकी इनफ्यूजन, पोस्ट हार्वेस्ट और शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचे, बाजार और विपणन बुनियादी ढांचे, गहरे समुद्र में मत्स्यन का विकास, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन, मछुआरों की सुरक्षा और सुरक्षा को मजबूत करना, मछली पकड़ने के जहाजों और मछुआरों का बीमा और मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए मछुआरों को आजीविका में सहायता, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जो निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मेंअन्य बातों के साथ-साथ लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम जैसे अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र में उपयोग नहीं की जा रही संभावनाओं की सुरक्षा, जलकृषि और मैरीकल्चर का विस्तार, गहनीकरण एवं विविधिकरण प्रौद्योगिकी इनफ्यूजन जैसे आरएएसऔर बायोफ्लोक, गुणवत्ता चारा की बेहतर उपलब्धता, गुणवत्ता बीज की आसान उपलब्धता के लिए ब्रूड बैंकों और हैचरी की स्थापना, पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना एवं मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन एवं आधुनिकीकरण एवंसुदृढ़ीकरण, जलीय पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं सृजन और एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचे की स्थापना के द्वारा मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा के आतारांकित प्रश्न सं. 1597, 7 दिसंबर, 2021 को उत्तर देने के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अवसंरचना विकास एवं पोस्टहार्वेस्ट प्रबंधन के संबंध में उत्तर देने में संदर्भित विवरण

			(रु. लाख में)
क्रमांक	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान**	**2020-21 और 2021-22(आज तक)के दौरान स्वीकृत संचयी प्रस्ताव**	**2020-21 और 2021-22(आज तक)के दौरान जारी संचयी निधि**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3005.55	709.30
2	आंध्र प्रदेश	65710.70	11560.39
3	अरुणाचल प्रदेश	1864.20	790.61
4	असम	20393.10	7727.99
5	बिहार	27461.80	4240.27
6	छत्तीसगढ	26207.00	4756.32
7	दमन और दीव	645.60	186.10
8	दिल्ली	386.25	144.30
9	गोवा	4200.20	623.59
10	गुजरात	37789.19	5698.55
1 1	हरियाणा	6306.50	1807.56
12	हिमाचल प्रदेश	4434.57	1578.35
13	जम्मू और कश्मीर	3392.49	5333.56
14	झारखंड	22549.90	2661.91
15	कर्नाटक	39519.44	11390.66
16	केरल	19583.02	5162.99
17	लक्षद्वीप	4040.58	1442.92
18	मध्य प्रदेश	32372.94	7259.14
19	महाराष्ट्र	39687.40	5872.67
20	मणिपुर	2633.00	1097.97
21	मेघालय	2145.01	790.65
22	मिजोरम	3663.88	1202.35
23	नागालैंड	2686.70	822.52
24	उड़ीसा	44155.10	9963.98
25	पांडिचेरी	3510.52	1003.10
26	पंजाब	4582.00	567.84
27	राजस्थान	1603.70	323.17
28	सिक्किम	1206.16	336.58
29	तमिलनाडु	14823.65	4581.06
30	तेलंगाना	14720.60	2105.59
31	त्रिपुरा	7272.00	1965.06
32	उत्तर प्रदेश	53226.20	8054.87
33	उत्तराखंड	4310.60	1830.01
34	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00
35	लद्दाख	149.60	49.80
37	सीएस प्रस्ताव और अन्य	13455.13	8751.64
	कुल	**533696.00**	**122396.55**

अनुलग्नक- II

लोक सभा के आतारांकित प्रश्न सं. 1597, 7 दिसंबर, 2021 को उत्तर देने के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अवसंरचना विकास एवं पोस्टहार्वेस्ट प्रबंधन के संबंध में उत्तर देने में संदर्भित विवरण

(रु. लाख में)

क्रमांक।	जिलों	2020-21 के दौरान परियोजना लागत	केंद्रीय हिस्सा	राज्य काहिस्सा	लाभार्थी काहिस्सा
1	अहमदनगर	276.36	87.19	58.13	131.04
2	अकोला	100.80	27.93	18.61	54.26
3	अमरावती	374.27	119.42	79.61	175.24
4	औरंगाबाद	23.00	8.28	5.52	9.20
5	बीड़	496.00	144.90	96.60	254.50
6	भंडारा	41.68	11.80	7.87	22.01
7	बुलढाना	34.40	11.23	7.49	15.68
8	चंद्रपुर	55.60	15.26	10.18	30.16
9	धुले	196.00	69.30	46.20	80.50
10	गडचिरोली	36.00	9.96	6.64	19.40
1 1	गोंदिया	22.33	7.98	5.31	9.03
12	हिंगोली	30.32	7.28	4.85	18.19
13	जलगांव	7.20	2.06	1.38	3.76
14	जालना	103.32	33.74	22.49	47.09
15	कोल्हापुर	108.00	32.40	21.60	54.00
16	लातूर	89.00	26.04	17.36	45.60
17	मुंबई शहर	115.00	37.80	25.20	52.00
18	मुंबई उपनगर	195.00	61.80	41.20	92.00
19	नागपुर	454.50	143.64	95.76	215.10
20	नांदेड़	610.50	205.92	137.28	267.30
21	नंदुरबार	333.00	119.88	79.92	133.20
22	नासिक	230.33	71.55	47.70	111.07
23	उस्मानाबाद	172.00	55.44	36.96	79.60
24	ठाणे-पालघर	409.54	137.21	91.47	638.22
25	परभनी	123.80	41.57	27.71	54.52
26	पुणे	243.60	78.21	52.15	113.24
27	रायगढ़	424.64	124.71	83.14	216.78
28	रत्नागिरि	359.70	100.04	66.66	193.00
29	सांगली	179.00	57.96	38.64	82.40
30	सातारा	108.00	32.40	21.60	54.00
31	सिंधुदुर्ग	26.00	9.36	6.24	10.40
32	सोलापुर	44.00	13.20	8.80	22.00
33	वर्धा	173.85	52.39	34.92	86.54
34	वाशिम	33.60	11.18	7.45	14.97
35	यवतमाल	154.90	40.28	26.86	87.76
	कुल	**6375.24**	**2009.32**	**1339.50**	**3026.43**

क्रम सं.	जिलों	2021-22 के दौरान परियोजना लागत	केंद्रीय शेयर	राज्य शेयर	लाभार्थी शेयर
1	अहमदनगर	1395.00	465.60	310.40	619.00
2	अकोला	430.85	152.32	101.54	176.99
3	अमरावती	552.00	189.72	126.48	235.80
4	औरंगाबाद	481.50	167.22	111.48	202.80
5	बीड	1109.50	349.80	233.20	526.50
6	भंडार:	64.05	21.35	14.23	28.47
7	बुलढाणा	66.80	22.73	15.15	28.92
8	चंद्रपुर	216.84	59.30	39.53	118.00
9	धुले	949.00	336.72	224.48	387.80
10	गडचिरोली	328.43	116.95	77.97	133.51
1 1	गोंदिया	129.73	46.34	30.90	52.49
12	हिंगोली	480.50	157.38	104.92	218.20
13	जलगांव	225.70	79.31	52.87	93.52
14	जालना	342.49	113.04	75.36	154.10
15	कोल्हापुर	475.50	163.50	109.00	203.00
16	लातूर	394.27	128.88	85.92	179.47
17	मुंबई शहर	228.00	67.08	44.72	116.20
18	मुंबई उपनगर	853.00	277.68	185.12	390.20
19	नागपुर	1229.98	357.56	238.38	634.04
20	नांदेड़	627.02	224.53	149.68	252.81
21	नंदुरबार	723.40	259.61	173.08	290.71
22	नासिक	453.50	150.72	100.48	202.30
23	उस्मानाबाद	581.50	204.30	136.20	241.00
24	परभनी	585.70	210.85	140.57	234.28
25	पुणे	1297.44	438.96	292.64	565.83
26	रायगढ़	1222.32	433.63	289.08	499.61
27	रत्नागिरि	2258.64	655.70	437.13	1165.81
28	सांगली	125.00	45.00	30.00	50.00
29	सातारा	678.20	240.65	160.43	277.12
30	सिंधुदुर्ग	563.44	173.22	115.48	274.74
31	सोलापुर	535.34	182.34	121.56	231.44
32	ठाणे-पालघर	1101.96	366.71	244.47	490.78
33	वर्धा	424.40	143.74	95.82	184.84
34	वाशिम	178.00	63.36	42.24	72.40
35	यवतमाल	349.37	120.74	80.49	148.14
	कुल	**21658.38**	**7186.54**	**4791.03**	**9680.81**

*****